

वमिक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू जनजातियाँ

प्रलमिस के लयि:

वमिक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू जनजातियाँ, संबंघति आयोग एवं समतियाँ, वमिक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू जनजातियाँ (DWBDNC) के लयि वकिस और कल्याण बोरड, DNT के लयि योजनारँ ।

मेन्स के लयि:

अनुसूचति जात और अनुसूचति जनजात से संबंघति मुद्दे, सरकारी नीतियाँ और हस्तकषेप, भारत में वमिक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू जनजातियाँ की स्थति ।

चरचा में क्योँ?

सामाजकि न्याय और अधकिरति पर संसदीय पैनल ने सरकार से **SC/ST/OBC सूची** के तहत वमिक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू जनजातियाँ के वर्गीकरण के कार्य में तेजी लाने को कहा है क्योँक इसमें देरी से इन समुदायों की समस्याएँ बढ़ेंगी और वे कल्याणकारी योजनाओं से वंचति रह जाएंगे ।

वमिक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू जनजातियाँ:

ये ऐसे समुदाय हैं जो सबसे सुभेदय और वंचति हैं ।

- वमिक्त ऐसे समुदाय हैं जनिहें बरटिश शासन के दौरान वर्ष 1871 के आपराधकि जनजात अधनियम से शुरू होने वाली कानूनों की एक शृंखला के तहत 'जनमजात अपराधी' के रूप में 'अधसूचति' कयि गया था ।
 - इन अधनियमों को स्वतंत्र भारत सरकार द्वारा वर्ष 1952 में नरिसूत कर दयि गया और इन समुदायों को 'वमिक्त' कर दयि गया था ।
- इनमें से कुछ समुदाय जनिहें वमिक्त के रूप में सूचीबद्ध कयि गया था, वे भी खानाबदोश थे ।
 - खानाबदोश और अर्द्ध-घुमंतू समुदायों को उन लोगों के रूप में परभिषति कयि जाता है जो हर समय एक ही स्थान पर रहने के बजाय एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं ।
- ऐतहिसकि रूप से घुमंतू और वमिक्त जनजातियाँ की कभी भी नज्ी भूमि या घर के स्वामतिव तक पहुँच नहीं थी ।
- अधकिंश वमिक्त समुदाय, **अनुसूचति जात (SC)**, **अनुसूचति जनजात (ST)** और **अनय पछिड़ा वर्ग (OBC)** श्रेणियों में वतिरति हैं, जबकि कुछ वमिक्त समुदाय SC, ST या OBC श्रेणियों में से कसिी में भी शामिल नहीं हैं ।
- आज़ादी के बाद गठति कई आयोगों और समतियाँ ने इन समुदायों की समस्याओं का उल्लेख कयि है ।
 - इनमें संयुक्त प्रांत (अब उत्तर प्रदेश) में गठति **आपराधकि जनजात जाँच समति, 1947** भी शामिल है ।
 - **वर्ष 1949 की अनंतशयनम आयंगर समति** (इसी समति की रिपोर्ट के आधार पर आपराधकि जनजात अधनियम को नरिसूत कयि गया था) ।
 - काका कालेकर आयोग (जसिे पहला ओबीसी आयोग भी कहा जाता है) का गठन वर्ष 1953 में कयि गया था ।
 - वर्ष 1980 में गठति बीपी मंडल आयोग ने भी इस मुद्दे पर कुछ सफिरशें की थी ।
 - **संघान के कामकाज़ की समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग (NCRWC)** ने भी माना था कि वमिक्त समुदायों को अपराध प्रवण के रूप में गलत तरीके से कलंकति कयि गया है और कानून-व्यवस्था एवं सामान्य समाज के प्रतिनिधियों द्वारा शोषण के अधीन कयि गया है ।
 - NCRWC की स्थापना न्यायमूर्त एम.एन. वेंकटचलैया की अध्यक्षता में हुई थी ।
- एक अनुमान के अनुसार, **दक्षिण एशिया में वशि्व की सबसे बड़ी यायावर/खानाबदोश आबादी (Nomadic Population)** नविस करती है ।
 - भारत में लगभग 10% आबादी वमिक्त और खानाबदोश है ।
 - जबकि वमिक्त जनजातियों की संख्या लगभग 150 है, खानाबदोश जनजातियों की जनसंख्या में लगभग 500 वभिन्नि समुदाय शामिल हैं ।

खानाबदोश/घुमंतू जनजातियाँ के समकष चुनौतियाँ:

- **बुनयिदी अवसंरचना सुवधियों का अभाव:** इन समुदायों के सदस्यों के पास पेयजल, आश्रय और स्वच्छता आदि संबंधी बुनयिदी सुवधिएँ उपलब्ध

नहीं हैं। इसके अलावा ये स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा जैसी सुविधाओं से वंचित हैं।

- **स्थानीय प्रशासन का दुर्व्यवहार:** वमिक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू समुदायों के संबंध में प्रचलित गलत और अपराधिक धारणाओं के कारण आज भी उन्हें स्थानीय प्रशासन और पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जाता है।
- **सामाजिक सुरक्षा कवर का अभाव:** चूँकि इन समुदायों के लोग प्रायः यात्रा पर रहते हैं, इसलिये इनका कोई स्थायी ठिकाना नहीं होता है। नतीजतन उनके पास सामाजिक सुरक्षा कवर का अभाव होता है और उन्हें राशन कार्ड, आधार कार्ड आदि भी नहीं जारी किया जाता है।
- इन समुदायों के बीच जातिविरगीकरण बहुत स्पष्ट नहीं है, कुछ राज्यों में इन समुदायों को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाता है, जबकि कुछ अन्य राज्यों में उन्हें अन्य पछिड़े वर्ग (OBC) के तहत शामिल किया जाता है।
 - इन समुदायों के अधिकांश लोगों के पास जातिप्रमाण पत्र नहीं होता और इसलिये वे सरकारी कल्याण कार्यक्रमों का लाभ नहीं उठा पाते हैं।

वमिक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू समुदायों से संबंधित योजनाएँ:

- **DNT के लिये डॉ. अंबेडकर प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्त:**
 - यह केंद्र प्रायोजित योजना वर्ष 2014-15 में वमिक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू जनजाति (DNT) के उन छात्रों के कल्याण हेतु शुरू की गई थी, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पछिड़ा वर्ग (OBC) श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते हैं।
 - यह योजना वमिक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू समुदायों के बच्चों वशिषकर बालिकाओं के बीच शिक्षा के प्रसार में सहायक है।
- **DNT बालकों और बालिकाओं हेतु छात्रावासों के निर्माण संबंधी नानाजी देशमुख योजना:**
 - वर्ष 2014-15 में शुरू की गई यह केंद्र प्रायोजित योजना, राज्य सरकारों/ केंद्रशासित प्रदेशों/केंद्रीय विश्वविद्यालयों के माध्यम से लागू की गई है।
 - योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पछिड़ा वर्ग (OBC) श्रेणी के अंतर्गत न आने वाले DNT छात्रों को छात्रावास की सुविधा प्रदान कर उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाना है।
- **DNT के आर्थिक सशक्तीकरण के लिये योजना:**
 - इसका उद्देश्य मुफ्त प्रतियोगी परीक्षा कोचिंग, स्वास्थ्य बीमा, आवास सहायता और आजीविका पहल प्रदान करना है।
 - यह वर्ष 2021-22 से अगले पाँच वर्षों में 200 करोड़ रुपए का खर्च सुनिश्चित करेगा।
 - **गैर-अधसूचित, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू जनजातियों (DWBDNC)** के लिये विकास और कल्याण बोर्ड को इस योजना के कार्यान्वयन का काम सौंपा गया है।
- **DWBDNC:**
 - कल्याण कार्यक्रमों को लागू करने के उद्देश्य से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तत्वावधान में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत DWBDNC की स्थापना की गई थी।
 - DWBDNC का गठन 21 फरवरी, 2019 को भीकू रामजी इंदरे की अध्यक्षता में किया गया था।

[स्रोत: द हिंदू](#)